

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2026, परि0-

पटना, दिनांक-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 एवं अधिसूचना संख्या-1405, दिनांक-18.02.2026 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुसूची-क(ii) के रूप में कुल 4(चार) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2026, परि0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2026, परि0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/प्रसाशन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2026, परि0-

7603

पटना, दिनांक-

10-09-26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी सहायक/श्री सोनू कुमार, प्रोग्रामर, परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/09/26

सरकार के संयुक्त सचिव।